जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 20-11-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

<u>टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गैंग लीडर सहित 08 अभियुक्तों पर गैंगेस्टर की कार्यवाही</u>

दिनांक 22.10.2020 को थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री धर्मेन्द्र तिवारी मय हमराह कर्मचारीगण व सर्विलांस सेल की टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से टावरों की कीमती बैटरियों को चोरी कर महिद्रा पिकप (रजि0 नं0 यूपी0 58 टी 9444) में लाद कर अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध में प्रयुक्त उक्त पिकप सहित 08 शातिर अभियुक्तों को मय 60 अदद चोरी की बैटरी (कीमती लगभग 06 लाख) व 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस 315 बोर व 01अदद तमंचा नाजायज 12 बोर मय 01 अदद कारतूस 12 बोर व भिन्न भिन्न कम्पनियों के मोबाइल सेट व 01 अदद चोरी के टुल्लू पम्प के साथ 1- नूरुद्दीन पुत्र मु0 रफीक निवासी बहुआर खुर्द थाना निचलौल जनपद महराजगंज (गैंग लीडर), 2- सतीश यादव पुत्र संतलाल यादव निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर (सक्रिय सदस्य), 3- सराफत हुसैन पुत्र अब्दुल्लाह निवासी लोहरौली थाना दुधारा जनपद सन्तरकबीरनगर (वाहन चोरी के माल को लादने हेतु वाहन उपलब्ध कराना व चालक), 4- सुलेमान उर्फ सोनू पुत्र मो0 इलियास निवासी महदेवा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर (सक्रिय सदस्य), 5- संतोष कुमार साहनी पुत्र सुरेश साहनी निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर (सक्रिय सदस्य), 6- सुरेन्द्र साहनी पुत्र रम्मन साहनी निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरगर (सक्रिय सदस्य), 7- जय सिंह पुत्र राजकरन यादव निवासी खर्रा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर (सक्रिय सदस्य), 8- संदीप उपाध्याय पुत्र नेबू लाल निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर (सक्रिय सदस्य) गिरफ्तार किया गया था। उक्त अभियुक्तों को पूर्व में दिनांक 22.10.2020 को थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2020 धारा 457/380/411 व 25 इण्डियन टेलीग्राफ अधिनियम , 105/2020 धारा 457/380/411 व 25 इण्डियन टेलीग्राफ अधिनियम व 108/2020, धारा 457/380/411 व 25 इण्डियन टेलीग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर विभिन्न थानाक्षेत्रों में सुनियोजित व संगठित होकर चोरी व छिनैती जैसे अपराध किये जाते थे जिससे आमजनमानस में भय व्याप्त था। इन अभियुक्तों के इन्ही कृत्यों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **आज**

दिनांक 20.11.2020 को थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 115/2020 धारा 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 17 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 0 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा जमीनी विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 08044 से कालर सद्दाम ने दो पक्षों मे विवाद के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 18 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया तथा दोनों पक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ –मु0 आरक्षी विनोद कुमार ओझा, हो0चा0 बन्धु प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 228 वाहनो से 204500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 228 वाहनो से 24500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 20-11-2020

जनपद के विभिन्न थानों में EkdinkeThanedar कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को बनाया गया थानेदार

आज दिनांक 20.11.2020 को जनपद में Unicef के साथ मिलकर एक Campaign के तहत विश्व बालदिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर विभिन्न विद्यालय को बच्चों को बुलाकर उन्हे यातायात नियमों के संबन्ध में, मिशन शक्ति अभियान के तहत हेल्पलाइन नंबरों, आत्मसुरक्षा, चाइलसेफ्टी व बालअपराधों के समंबन्ध में जागरूक किया गया। EkdinkaThanedar के रूप में थाना महुली पर कक्षा 11 की छात्रा कविता, थाना धर्मसिंहवा पर छात्रा आभा, थाना मेंहदावल पर कक्षा 06 के छात्र राजकुमार, थाना बेलहरकला पर कक्षा 9 के छात्र अतुल कुमार तिवारी आदि द्वारा कार्यवाहक थाना प्रभारी बनकर लोगों की शिकायतों को सुना गया तथा रजिस्टर को चेक करते हुए कम्प्यूटर कक्ष, हवालात व मालखाने का भी निरीक्षण करते हुए प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस के कार्यप्रणाली बच्चों को जानकारी दी गयी ।